उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-3
संख्या-17/2990/30-3-13-32जीडब्लू/2012
लखनऊ दिनॉक 27 नवम्बर, 2013

कार्यालय-आदेश

परिवहन विभाग में प्रवर्तन चालकों की 25 रिक्तियों के विरूद्ध भर्ती हेतु दिनॉक 10-08-2004 को विज्ञापन प्रकाशित कराया गया था, जिसके आधार पर ड्राइविंग टेस्ट एवं साक्षात्कार की कार्यवाही माह जनवरी/फरवरी, 2005 में सम्पन्न की गयी थी किन्तु इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहबाद की लखनऊ बेन्च में रिट याचिका संख्या-5008 (एस/एस)/2004 योगेश बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य योजित की गयी, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय ने आदेश दिनॉक 22-05-2005 पारित करते हुए प्रवर्तन चालक के परीक्षा परिणाम की घोषणा पर रोक लगा दी। चयन प्रक्रिया अधूरी होने के कारण शासन के आदेश दिनॉक 29-04-2005 द्वारा उक्त चयन प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया और यह निर्देश दिये गये कि जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व चयन में भाग लिया था, उनका आवेदन वैध मानते हुए नया विज्ञापन प्रकाशित कराया जाय, जिससे अन्य लोग भी आवेदन कर सकें। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनॉक 27-02-2006 को आदेश पारित करते हुए रिट याचिका संख्या-5008 (एस/एस)/2004 योगेश बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य तथा अन्य सहबद्ध रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। इस सम्बन्ध में दिनॉक 08-03-2006 को पुन: विज्ञापन जारी करते हुए यह स्पष्ट किया गया कि जिन अभ्यर्थियों को ड्राइविंग टेस्ट एवं साक्षात्कार के लिये पत्र भेजा गया है, उन्हें पुन: आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व चयन प्रक्रिया में सम्मिलित अभ्यर्थियों के पुराने अनुक्रमांक थे, जबकि नये आवेदकों को अनुक्रमांक नये सिरे से दिये गये थे।

2- प्रवर्तन चालक के पद पर श्री पवन कुमार (याची) का चयन न हो पाने के कारण उनके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या-30114/2006 पवन कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य दायर की गयी, जिसमें उनके द्वारा यह कथन किया गया कि उनका अनुक्रमांक पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत 42 है जबकि यह अनुक्रमांक चयनित अभ्यर्थी श्री कुलदीप सिंह का दर्शाया गया है। पर्याप्त आधार न पाते हुए मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनॉक 06-05-2011 द्वारा इस याचिका को खारिज कर दिया गया। मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनॉक 06-05-2011 को चुनौती देते हुए याची श्री पवन कुमार द्वारा स्पेशल अपील संख्या-1277/2011 भी दाखिल की गयी परन्तु यह स्पेशल अपील भी मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनॉक 05-07-2011 को खारिज कर दी गयी।

3- मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश दिनॉक 05-07-2011 से क्षुब्ध होकर याची श्री पवन कुमार द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-10047/2012 पवन कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य दाखिल की गयी। मा0 उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त याचिका को खारिज करते हुए दिनॉक 19-08-2013 को यह आदेश पारित किये गये कि चयन प्रक्रिया में गम्भीर त्रुटियॉ हुई हैं, इस कारण याची को अनावश्यक रूप से इस वाद के माध्यम से प्रतारणा/परेशानी हुई है, इन परिस्थितियों में विशेष अनुज्ञा याचिका खारिज की जाती है किन्तु विपक्षी

2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-1 (राज्य सरकार) याची को दो माह के भीतर मुआवजे के रूप में रू0 50,000/- हजार अदा करेगा। मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनॉक 19-08-2013 के प्रभावी अंश निम्नवत हैं :-

"We do find that the emplyees of the State have committed serious mistakes in the process of selection and, therefore, the petitioner suffered undue harassment by way of this litigation. In the cirumstances, we dismiss this special leave petition.

However, the Respondent No.1 shall pay Rs. 50,000/- to the petitioner by way of compensation within two months from today."

4- मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त आदेशों के समादर एवं विधिक बाध्यता के दृष्टिगत याची श्री पवन कुमार को रू0 50,000/- (रू0 पचार हजार मात्र) की धनराशि का भुगतान मुआवजे के रूप में किये जाने की एतदद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

5- उपरोक्तानुसार श्री पवन कुमार को रू0 50,000/- की धनराशि का भुगतान सुसंगत लेखाशीर्ष से कराये जाने की कार्यवाही परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनउ द्वारा सुनिश्चित करायी जायेगी।

ह0

(बी0एस0 भुल्लर)
प्रमुख सचिव।

संख्या-17/2990(1)/30-3-2013, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- परिवहन आयुक्त्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- श्री पवन कुमार पुत्र श्री विजय कुमार, ग्राम व पोस्ट-अण्डा, कोंच, (जालौन), उ0प्र0 (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
8- वैभागिक आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

ह0

(संजय कुमार उपाध्याय)
उप सचिव।

http://bhasanadesh.up.nic.in